पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1728

दिनांक- 22.09.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के थानों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को POSH Act के प्रावधानों का दिया गया प्रशिक्षण।

01-कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यस्थल :-

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में, लखनऊ पुलिस आयुक्त **श्री तरूण गाबा** के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.09.2026 को **Specialized Training शाखा** द्वारा **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)** के विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम **संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट लखनऊ** में आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध **सुश्री शाहिदा नसरीन** के निर्देशन में समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी एवं समावेशी पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज दिनांक **22 सितम्बर 2026** को **संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट लखनऊ** में **"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)"** विषय पर एक विशेष पुलिस संवेदीकरण एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का **एक सत्र** में आयोजन किया गया।

02-प्रशिक्षण में प्रतिभाग-

प्रशिक्षण कार्यशाला में कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर नियुक्त कुल 108 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में **प्रशिक्षक तज़ीन फातिमा, सर्टिफाइड POSH ट्रेनर** द्वारा प्रतिभागियों को विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक एवं प्रक्रियात्मक जानकारी प्रदान की गई।

03-प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य-

- महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने हेतु **POSH Act, 2013** के प्रावधानों की जानकारी देना।
- थाने पर नियुक्त महिलाकर्मियों को महिलाओं से संबंधित शिकायतों के प्रति **संवेदनशील एवं विधिसम्मत कार्यवाही** हेतु प्रशिक्षित करना।
- कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक समानता पर आधारित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विधिक जागरूकता बढ़ाना।
- शिकायतों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

04-प्रशिक्षण के प्रमुख विषय-

प्रशिक्षण के दौरान **POSH Act, 2013** के अंतर्गत निर्धारित विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही **विशाखा गाइडलाइंस**, **She-Box पोर्टल**, अधिनियम के अंतर्गत गठित **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** एवं **स्थानीय शिकायत समिति (LCC)** की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त शिकायत प्राप्त होने के उपरांत अपनाई जाने वाली **विधिक प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा तथा शिकायतों के निस्तारण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों** के बारे में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

05-कमिश्नरेट लखनऊ की प्रतिबद्धता-

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिसकर्मियों को समय-समय पर **विधिक प्रावधानों, महिला अपराध एवं संवेदनशीलता से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण** प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला हेल्प डेस्क एवं पिंक बूथ पर नियुक्त महिलाकर्मियों को POSH Act के प्रावधानों से प्रशिक्षित कर **महिलाओं की शिकायतों के प्रभावी, संवेदनशील एवं विधिसम्मत निस्तारण** हेतु सक्षम बनाया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1727
दिनांक-22.09.2026

ऑपरेशन डिजिटल कवच– *क्राइम ब्रांच*

"Green Gas Meter Update Fraud" के विरुद्ध "विशेष जागरूकता अभियान"

क्राइम ब्रांच, लखनऊ द्वारा "**ऑपरेशन डिजिटल कवच**" के अंतर्गत साइबर अपराध के नए तरीकों के संबंध में निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में Green Gas के नाम पर मीटर/बिल अपडेट कराने के बहाने APK फाइल भेजकर की जा रही साइबर ठगी के संबंध में आमजन को विशेष रूप से सतर्क किया जा रहा है।

क्राइम ब्रांच द्वारा इस साइबर फ्रॉड के संबंध में लगातार जागरूकता एवं एडवाइजरी जारी किए जाने के बावजूद इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। कमिश्नरेट लखनऊ में ऐसे मामलों में करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी प्रकाश में आई है। इसी को देखते हुए नागरिकों से अपील है कि वे स्वयं सतर्क रहें तथा अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, RWA एवं परिचितों को भी इस फ्रॉड के संबंध में जागरूक करें।

साइबर अपराधियों का तरीका

साइबर अपराधियों द्वारा SMS, फोन कॉल अथवा WhatsApp के माध्यम से नागरिकों से संपर्क कर स्वयं को Green Gas का प्रतिनिधि बताया जाता है। मीटर/बिल अपडेट न होने अथवा गैस कनेक्शन बंद किए जाने की बात कहकर तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाया जाता है।

इसके बाद "Meter Update.apk" अथवा "Green Gas Meter Update" के नाम से APK फाइल भेजकर उसे इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। फाइल इंस्टॉल होने के बाद अपराधियों को मोबाइल का रिमोट एक्सेस प्राप्त हो सकता है और इसके माध्यम से बैंकिंग संबंधी जानकारी का दुरुपयोग कर खातों से धनराशि निकाली जा रही है।

जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि अपराधियों द्वारा Green Gas उपभोक्ताओं से संबंधित उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर उन्हें target किया जा रहा है। इसी प्रकार के फ्रॉड की जानकारी आगरा के Green Gas उपभोक्ताओं के साथ भी सामने आई है।

अतः किसी व्यक्ति द्वारा नाम, पता अथवा Green Gas कनेक्शन संबंधी जानकारी बताए जाने मात्र से उसकी पहचान को वास्तविक न मानें।

Green Gas के नाम से कोई कॉल/मैसेज प्राप्त होने पर—पहले सत्यापन करें

यदि Green Gas के नाम से कोई SMS, WhatsApp संदेश अथवा फोन कॉल प्राप्त होता है तो घबराकर अथवा दबाव में आकर कोई तत्काल कार्रवाई न करें।

किसी संदेश में दिए गए मोबाइल नंबर अथवा लिंक के बजाय स्वयं Green Gas के अधिकृत माध्यमों से जानकारी की पुष्टि करें।

Green Gas Customer Care: 6390905003

Official GGL Engage App

Green Gas के अधिकृत Customer Care Email – customercare.lko@gglonline.net

अधिकारिक SMS HEADER–GGLPNG-S

नागरिकों के लिए आवश्यक सावधानियां -

क्या न करें-

* किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त APK फाइल डाउनलोड अथवा इंस्टॉल न करें।
* संदिग्ध SMS/WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें।
* मीटर/बिल अपडेट के नाम पर अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भुगतान न करें।
* OTP, Debit/Credit Card details, CVV, PIN अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें।
* किसी अनजान व्यक्ति को मोबाइल का screen sharing अथवा remote access न दें।
* गैस कनेक्शन बंद होने की धमकी अथवा किसी अन्य दबाव में आकर तत्काल निर्णय न लें।

क्या करें -

* प्राप्त कॉल/मैसेज की जानकारी अधिकृत Customer Care, Official App अथवा Email के माध्यम से स्वयं verify करें।
* संदिग्ध APK/लिंक को आगे प्रसारित न करें।
* अपने परिवार एवं परिचितों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, को इस फ्रॉड के बारे में जागरूक करें।
* संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना Crime Branch Organised Crime Helpline – 7839861034 पर दें।
* आर्थिक साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करें।

Green Gas कंपनी के साथ समन्वय से व्यापक जागरूकता अभियान

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा Green Gas कंपनी के साथ भी समन्वय स्थापित कर व्यापक उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरु किया जा रहा है

साइबर क्राइम सेल व कम्पनी के द्वारा Green Gas कनेक्शन वाले क्षेत्रों की RWA/Residential Welfare Associations के साथ समन्वय कर:

* स्थानीय स्तर पर RWA के साथ जागरुकता अभियान चलाया जायेगा।
*समय-समय पर उपभोक्ताओं को Bulk SMS के माध्यम से इस फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी जाए।
* आवासीय क्षेत्रों में loudspeaker/public announcements के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएं।
* उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत Customer Care no, App एवं Email के माध्यम से जानकारी verify करने के लिए प्रेरित किया जाए।
* स्पष्ट रूप से बताया जाए कि किसी भी अज्ञात whatsapp SMS द्वारा भेजी गई APK फाइल को डाउनलोड/इंस्टॉल न करें।
* RWA सोसाइटी के बाहर व शहर के प्रमुख चौराहो पर जागरुकता सम्बन्धित बैनर व पोस्टर लगवाये जायेगे।

साइबर अपराध की रकम से बिल भुगतान के नाम पर भी रहे सावधान -

जांच में यह तथ्य सामने आया है कि साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि का उपयोग कुछ मामलों में Credit Card Bill, बिजली बिल, Internet Bill आदि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। इसके बदले संबंधित व्यक्ति द्वारा पैसा बचाने के लालच में साइबर अपराधियों को Hard Cash/कमीशन दिया जा रहा है।

आमजन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको कम राशि या कमीशन के बदले आपका बिजली, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट अथवा अन्य बिल जमा करने की पेशकश करता है, तो उससे अपना बिल भुगतान बिल्कुल न करवाएं और न ही उसके माध्यम से कोई धनराशि प्राप्त करें।

ऐसी व्यवस्था साइबर अपराध की धनराशि को खपाने का माध्यम हो सकती है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने साइबर अपराध की रकम के बारे में जानकारी या संदेह होने के बावजूद उसका उपयोग किया अथवा उसमें सहयोग किया है, तो उसकी भूमिका की जांच कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जनसहभागिता से ही प्रभावी साइबर सुरक्षा

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव, IPS द्वारा बताया गया है कि Crime Branch Lucknow द्वारा ***ऑपरेशन डिजिटल कवच*** के तहत Green Gas के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड के संबंध में लगातार व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। Green Gas कंपनी के साथ coordination कर awareness को और व्यापक बनाया जा रहा है, वहीं सामने आए मामलों की गहनता से जांच और उनके modus operandi का detailed analysis भी किया जा रहा है।

Crime Branch Lucknow के द्वारा **एक awareness poster भी जारी किया गया हैं। हमारी अपील है कि सभी लोग अपने फोन में save करें और अपने परिवार, दोस्तों, परिचितों, पड़ोसियों और RWA groups में ज्यादा से ज्यादा share करें तथा जरुरत पड़ने इसका इस्तेमाल कर साइबर फ्राड से बचे। साइबर जागरुकता ही बचाव है।**

क्राइम ब्रांच के द्वारा GREEN GAS FRAUD से सम्बन्धित जागरुकता पोस्टर --

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
क्राइम ब्रांच
ऑपरेशन डिजिटल कवच
सतर्क नागरिक, सुरक्षित समाज

CYBER SAFE LUCKNOW
A SAFER TOMORROW TOGETHER

सावधान!

Green Gas के नाम पर APK से साइबर ठगी

अनजान APK डाउनलोड न करें

साइबर अपराधी Green Gas का प्रतिनिधि बनकर मीटर अपडेट / बिल अपडेट के नाम पर APK फाइल भेज रहे हैं, जिससे आपके मोबाइल और बैंक खाते को खतरा हो सकता हैं।

कैसे होती है ठगी?

- SMS, कॉल या WhatsApp पर संपर्क करते हैं और खुद को Green Gas का प्रतिनिधि बताते हैं।
- मीटर/बिल अपडेट या कनेक्शन बंद होने की बात कहकर तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाते हैं।
- "Meter Update.apk" या ऐसे ही नाम से APK फाइल भेजकर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं।
- फाइल इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल का रिमोट एक्सेस मिल सकता हैं और बैंकिंग जानकारी का दुरुपयोग कर खातों से धनराशि निकाली जा सकती हैं।

क्या करें (DOs)

- किसी भी कॉल/मैसेज की जानकारी Green Gas के अधिकृत माध्यमों से स्वयं सत्यापित करें।
- संदिग्ध लिंक/ APK को आगे फॉरवर्ड न करें।
- अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करें।
- संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल क्राइम ब्रांच को दें।
- आर्थिक साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत **1930** पर कॉल करें।

क्या न करें (DON'Ts)

- किसी भी अज्ञात स्रोत से प्राप्त APK फाइल डाउनलोड/इंस्टॉल न करें।
- संदिग्ध SMS/WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें।
- मीटर/बिल अपडेट के नाम पर कोई भुगतान न करें।
- OTP, Debit/Credit Card details, CVV, PIN या बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें।
- किसी अनजान व्यक्ति को screen sharing या remote access न दें।
- गैस कनेक्शन बंद होने की धमकी या दबाव में आकर कोई निर्णय न लें।

किसी भी सूचना के लिए केवल अधिकृत माध्यमों का उपयोग करें

Green Gas
CLEAN ENERGY. BETTER TOMORROW

Green Gas Customer Care
6390905003

Official App
GGL Engage

Official Email
केवल Green Gas के अधिकृत Customer Care Email का उपयोग करें।

Crime Branch Organised Crime Helpline
7839861034

साइबर फ्रॉड की त्वरित रिपोर्टिंग
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1930
जल्दु सूचना, अधिक सुरक्षा

सतर्कता
जागरूकता
सुरक्षा
हमारी साझा जिम्मेदारी

"जागरूक रहें, सुरक्षित रहें"

ऑपरेशन डिजिटल कवच | पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ | क्राइम ब्रांच

Together for a Safer Lucknow

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1726
दिनांक-22.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

➢ **शराब के नशे में भाई की मारपीट के दौरान हुई मृत्यु के प्रकरण में थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21.09.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती भारती पत्नी स्व0 अजय कुमार रावत नि0 322 ग्वारी गांव थाना गोमतीनगर लखनऊ द्वारा बावत- प्रतिवादी द्वारा आवेदिका के पति अजय कुमार की लाठी डंडे से मारकर हत्या करने विषयक दाखिला प्रा0 पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/2026 धारा 103(1) बीएनएस घटनास्थल– मकान नं0 322 ग्वारी गांव गोमतीनगर लखनऊ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह को सुपुर्द हुयी।

उक्त अभियोग में थाना गोमतीनगर की पुलिस टीम के उ0नि0 प्रेम कुमार , उ0नि0 कमलेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रमोद कुमार रावत पुत्र स्व0 राम सेवक रावत निवासी- ग्वारी विकाश खंड 4 नियर चन्द्र शेखल स्कूल गोमतीनगर लखनऊ उम्र- 34 वर्ष को दिनांक 22.09.2026 को ग्वारी चौराहे के पास फुटपाथ पर नर्सरी के सामने थाना गोमतीनगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा घटना के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान बताया गया कि मृतक अजय कुमार मेरा भाई है वह आये दिन शराब की नशे में रहता है और मैं भी शराब पीता हूं वह शराब पीकर मां व बहन को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था और मेरे साथ भी मारपीट करता था, घटना वाले दिन उसने बहुत झगड़ा व मारपीट की थी उसी दौरान मैने भी नशे की हालत में उसे मार पीट कर दी मारपीट के दौरान आई चोटो के कारण मृत्यु हो गयी थी गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 103(1) बीएनएस में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 430/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. प्रमोद कुमार रावत पुत्र स्व0 राम सेवक रावत निवासी- ग्वारी विकाश खंड 4 नियर चन्द्र शेखल स्कूल गोमतीनगर लखनऊ उम्र- 34 वर्ष

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

1- उ0नि0 प्रेम कुमार
2- उ0नि0 कमलेश कुमार यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1729
दिनांक-22.09.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

- **थाना बंथरा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक बन्थरा श्री राणा राजेश कुमार सिंह नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शादी का झासा देकर संबंध बनाने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-10.09.2026 को थाना बन्थरा पर वादिनी मुकदमा निवासी बन्थरा द्वारा लिखित प्रा0पत्र दिया गया जिसमें वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करने एवं जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करने के संबंध में थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0-306/2026 धारा- 69/126(2)/127(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(2)V sc/st act बनाम जितेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नानमऊ थाना बन्थरा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उपरोक्त को आज दिनांक-22.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1.जितेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नानमऊ थाना बन्थरा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0सं0-306/2026 धारा- 69/126(2)/127(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(2)V sc/st act थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना बन्थरा पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।